

16⁵/₂₂ आज यह पत्रावली प्राथमिक

Not-processed
by me
de
16.5.22

के द्वारा मूलवाद में प्राथमिक
पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC
पेश करने पर पेशी में
ली गरी वादी का वादपत्र
नोटप्रेस करने पर खारिज
हो चुका है। अब इस पत्रावली
में कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। प्राथमिक का प्राथमिक पत्र
अन्तर्गत धारा 212 RPA इसी
सतर पर खारिज किया जाकर
प्रकरण में जारी अध्यापी निवेदन
दिनांक 08/04/22 निरस्त की जाती
है। पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर
होकर दाखिल दफ्तर हो।



(h)

उपखण्ड अधिकारी (राज्य)
श्री कर्णपुर